संख्याः 57/2024/984/छप्पन-2024-41/03टी0सी0

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के प्रयोगार्थ पुराने वाहनों के स्थान पर चार नए वाहनों के क्रय (कुल 04 वाहन) हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-86/ ना0उ0नि0-2024/376/2007-08, दिनांक 02 जुलाई, 2024 एवं पत्र संख्या-60/ ना0उ0नि0-2024/376/2007-08, दिनांक 06 जून, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 04 वाहनों के क्रय व साज-सज्जा हेतु शासन स्तर से अनुमति प्रदान करते हुए आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि रू0 54.00 लाख निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर स्वीकृत/आवंटित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय के निम्नलिखित तालिका में अंकित 04 निस्तारित/निस्तारण हेतु प्रस्तावित वाहनों के स्थान पर 04 नए राजकीय वाहनों का क्रय जेम (GEM) के माध्यम से किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	निस्तारित वाहन		नए प्रस्तावित वाहन	
	वाहन मेक/मॉडल	निस्तारण वर्ष	वाहन मेक/मॉडल	क्रय मूल्य(रू0)
1.	फोर्ड आइकॉन (UP32BG3725)	दिसम्बर, 2019	मारूति स्विफ्ट डिजायर अथवा समकक्ष वाहन	6,59,340/-
2.	अम्बेसडर (UP32BG5799)	मई, 2023	मारूति स्विफ्ट डिजायर अथवा समकक्ष वाहन	6,59,340/-
3.	टोयोटा क्वालिस (UP32AU4800)	मई, 2023	महिन्द्रा स्कार्पियो अथवा समकक्ष वाहन	18,77,025/-
			योग	31,95,705/-

क्र.सं.	निस्तारण हेतु प्रस्तावित वाहन/ ग्राउण्ड इक्यूपमेंट	नया प्रस्तावित वाहन	
	वाहन मेक/मॉडल	वाहन मेक/मॉडल	क्रय मूल्य (रू०)
1.	टाटा ट्रक 407 (UP45G0118)	टाटा ट्रक LPT 710 HHD अथवा समकक्ष वाहन	17,57,100/-

2/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में किए गए प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में नागरिक उड्डयन निदेशालय , उ0प्र0, लखनऊ के प्रयोगार्थ पुराने 04 राजकीय वाहनों के स्थान पर चार नए वाहनों के क्रय व साज-सज्जा पर व्यय होने वाली अनुमानित धनराशि रु0 54.00 लाख (रूपये चौवन लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन प्रश्नगत वाहन के उपयोग के लिए अधिकृत अधिकारियों की अपरिहार्य आवश्यकता, अनुमन्यता एवं संचालन में अपरिहार्य /न्यूनतम व्यय के संबंध में स्वयं सुनिश्चित हो लेंगे।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध शासनादेशों / नियमों / विनियमों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त 04 वाहनों के क्रय हेतु आवश्यक वास्तविक धनराशि के सापेक्ष ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन जेम (GEM) की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता अपने स्तर पर सुनिश्चित करगें।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन निस्तारित वाहनों से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त अभियंत्रण कार्यों के लिये प्रयोग किये जा

3/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रहे 01 वाहन/ग्राउण्ड इक्यूपमेंट के स्थान पर नये प्रस्तावित वाहन क्रय किये जाने के पश्चात पुराने 01 वाहन/ग्राउण्ड इक्यूपमेंट को भी निष्प्रयोज्य घोषित कर निस्तारण कराते हुये प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(10) वाहनों के क्रय एवं साज-सज्जा में व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) वाहनों के क्रय एवं साज-सज्जा के उपरान्त अवशेष धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- उपर्युक्त में आने वाली धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष "5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-नागरिक उड्डयन निदेशालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-7-59/दस-2024-25 दिनांक 24 जुलाई, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
उप सचिव।

पृ0सं0-57/2024/984(1) छप्पन-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई0एस0 111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।